# निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 47 / 2021 तारीख दायरा 01.04.2021

उनवान

1. गिरधर उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र परसराम जाति मेहर निवासी ग्राम विनोदकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. शिवशंकर उर्फ शिवचरण पुत्र परसराम जाति मेहर निवासी ग्राम विनोदकलां तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादीगण

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

दिनॉक :— 05.04.2021

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

—निर्णय—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:51:12 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के [illegible] ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं. नई 284 के [illegible] 181 की रकबा 2.43 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त आराजी को वादीगण मौके पर [illegible]सियत खातेदार काश्तकार शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण द्वारा अपनी आराजी का विकास कार्य करवाने एवं कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्व रेकार्ड की नकल जमाबंदी प्राप्त की तो वादीगण की जानकारी में आया कि वादी सं.1 महेन्द्र कुमार का नाम गिरधर दर्ज हो रहा है,

इसी प्रकार वादी सं.2 शिवचरण का नाम राजस्व रेकार्ड में शिवशंकर दर्ज हो रहा है। जिसके कारण बैंक आदि के द्वारा वादीगण को कृषि ऋण आदि देने से इन्कार कर दिया है।

वादी सं.1 का वास्तविक नाम महेन्द्र कुमार है तथा गिरधर वादी सं.1 का बोलता नाम है तथा घर पर व गांव में वादी सं.1 को गिरधर नाम से भी पुकारते हैं। इसी प्रकार वादी सं.2 का वास्तविक नाम शिवचरण है जबकि शिवशंकर वादी सं.2 का बोलता नाम है तथा घर पर व गांव में वादी सं.2 को शिवशंकर नाम से भी पुकारते हैं। वादीगण की पहचान के सभी दस्तावेजों एवं विद्यालय रेकार्ड आदि में भी वादीगण के नाम महेन्द्र कुमार तथा शिवचरण अंकित है जिससे भी यह प्रमाणित होता है कि वादीगण के वास्तविक नाम महेन्द्र कुमार एवं शिवचरण है तथा वाद पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड में घर के बोलते नाम अंकित हो रहे हैं, जिसके संबध में ग्राम पंचायत विनोदखुर्द द्वारा भी दिनांक 11.2.2021 को वादीगण के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी कर दिये हैं।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावें कि–

माल ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खाता सं. नई 284 के ख.न. 181 की रकबा 2.43 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी सं.1 के घर के बोलते नाम गिरधर के स्थान पर वास्तविक व प्रचलित नाम महेन्द्र कुमार मेहर व वादी सं.2 के घर के नाम शिवशंकर के स्थान पर वास्तविक व प्रचलित नाम शिवचरण दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमाया जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तरफ से जवाब प्राप्त नहीं हुआ। तदउपरान्त वकील अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में पक्ष मे ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज, विद्यालय संबंधी दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए गए। वकील वादी द्वारा प्रकरण में बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:51:12 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स इत्यादि का अवलोकन करने तथा बहस वकील वाद सुनने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत

माल ग्राम विनोदकलां पटवार हलका विनोदखुर्द तहसील सांगोद में खाता सं. नई के ख.न. 181 की रकबा 2.43 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी सं.1 के घर के ते नाम गिरधर के स्थान पर वास्तविक नाम महेन्द्र कुमार मेहर व वादी सं.2 के घर के नाम वशंकर के स्थान पर वास्तविक नाम शिवचरण दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है तथा क्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद य वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:51:12 IST
Reason: SelfAttested